Yojna IAS

योजना है तो सफलता है

yojnaias.com

मार्च 2024

साप्ताहिक करंट अफेयर्स

योजना आई.ए.एस. साप्ताहिक करंट अफेयर्स

25/03/2024 से 31/03/2024 तक

दिल्ली कार्यालय

706 ग्राउंड फ्लोर डॉ मुखर्जी नगर बत्रा

नोएडा कार्यालय

बेसमेन्ट सी-32 नोएडा सैक्टर-2 उत्तर

मोबाइल नं. : +91 8595390705

वेबसाइट : www.yojnaias.com

साप्ताहिक करंट अफेयर्स

विषय सूची

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	राज्यपाल की शक्तियां : संविधान प्रदत शक्तियों से संबंधित चुनौतियाँ और विभिन्न सुधार प्रस्ताव	1 - 8
2.	वर्तमान भू – राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रासंगिकता	9 - 14
3.	धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) 2002 और भारत में मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी	15 - 21
4.	भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 और भारत में बेरोजगारी	21 - 25
5.	भारत के राजकोषीय घाटे का लक्ष्य	25 - 28

करंट अफेयर्स मार्च 2024

राज्यपाल की शक्तियां : संविधान प्रदत शक्तियों से संबंधित चुनौतियाँ और विभिन्न सुधार प्रस्ताव

स्त्रोत – द हिन्दू एवं पीआईबी।

सामान्य अध्ययन – भारत की राजनीति एवं शासन व्यवस्था, सर्वोच्च न्यायालय, धन विधेयक, राष्ट्रपति, राज्यपाल, अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 201, अनुच्छेद 361, पुंछी आयोग, वेंकटचलैया आयोग, अनुच्छेद 31 A, राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत, विभिन्न समितियों द्वारा की गई सिफ़ारिशों से संबंधित राज्यपाल की शक्तियाँ।

ख़बरों में क्यों ?

- हाल ही में तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि द्वारा के. पोनमुडी को तमिलनाडु मंत्रिमंडल में दोबारा शामिल करने की इजाजत देने से इनकार करने का है, जो पूरी से तरह अनुचित और राज्यपाल के असंवैधानिक शक्ति उदाहरणहै।
- भारत के उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने पोनमुडी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलायी।
- हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भ्रष्टाचार के एक कथित मामले में पोनमुडी की दोष-सिद्धि पर रोक लगायी गई थी, जिसके परिणामस्वरूप विधानसभा का सदस्य होने की उनकी पात्रता बहाल हो गयी।
- तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि का यह रुख कि दोष-सिद्धि पर रोक के आधार पर पोनमुडी को मंत्रिमंडल में दोबारा शामिल

करना 'संवैधानिक नैतिकता' के खिलाफ होगा, कानूनी तौर पर टिकने वाला नहीं था।

- तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने, मद्रास हाईकोर्ट द्वारा दिए गए दोष-सिद्धि के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की पीठ द्वारा लगायी गयी रोक सिर्फ एक किस्म की अंतरिम राहत थी और इसका मतलब यह था कि दोष-सिद्धि 'बरकरार, लेकिन अक्रियान्वित थी' और यह इसे पलटे जाने के बराबर नहीं था।
- भारत में भ्रष्टाचार के मामले में आपराधिक दोष-सिद्धि से उपजे कानूनी नतीजे (विधायक होने की पात्रता और इसलिए, मंत्री होने की पात्रता छिन जाना) दोष-सिद्धि पर रोक लगते ही निलंबित हो जाते हैं।
- दोष-सिद्धि पर रोक लगते ही संसद और राज्य विधानसभाएं दोषी करार व्यक्ति की सदस्यता बहाल करती हैं, भले ही उनकी सीटें खाली घोषित की जा चुकी हों।
- तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि का 'नैतिकता' और सुशासन के सिद्धांतों की वैधता के साथ छेड़छाड़ करना संविधान द्वारा प्राप्त राज्यपाल की शक्तियों का दुरुपयोग के रूप में व्याख्या की जा रही है।
- हाल ही में तमिलनाडु के राज्यपाल के द्वारा किया गया कृत्य राजपाल को प्रदत शक्तियों की सीमाओं को स्वीकार करने की और सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्यपालों की खिंचाई के बढ़ते मामलों पर कदम उठा पाने में केंद्र सरकार की विफलता के उदहारण के रूप में भी देखा जा रहा है।
- हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने उल्लेख किया कि रवि ने अपने पास लंबित विधेयकों का निपटारा तभी किया जब उसने उनकी लंबी निष्क्रियता पर सवाल उठाए गए थे।
- हाल ही में तमिलनाडु के राज्यपाल के द्वारा किए गए मनमानी ने इस बहस को केंद्र में खड़ा कर दिया कि "अगर राज्यपाल संविधान का पालन नहीं करते, तो राज्य एक सांविधानिक अदालत का दरवाजा खटखटाने के सिवाय क्या करे?"
- भारत में आए दिन राज्यपालों के आचरण से जुड़ी मुकदमेबाजी की बहुलता को देखते हुए, केंद्र को उपचारात्मक उपायों की व्यवस्था करनी चाहिए थी लेकिन हाल में घटे इस घटना ने भारत में राज्यपालों के आचरण को लेकर एक बार फिर यह बहस छेड़ दिया है कि भारत में राज्यपाल के कार्य करने की शैली भारत के संवैधानिक प्रावधानों से नहीं चल रही है, बल्किवर्तमान समय में राज्यपाल के कार्य करने की शैली किसी राजनीतिक दल के निहित स्वार्थों से प्रेरित होकर उन्हें अपने नियोक्ताओं अर्थात केंद्र सरकार की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा दी गयी है के अनुसार चल रही है।
- तमिलनाडु के राज्यपाल से जुड़े मुद्दे ने एक बार फिर राज्यपाल (Governor) नामक औपनिवेशिक संस्था को बनाये रखने के मुद्दे को उजागर किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें याद दिलाया कि वह निर्वाचित प्राधिकारी नहीं हैं और उन्हें निर्वाचित सरकार के निर्णय को यूँ लटकाए नहीं रखना चाहिए था।
- हाल ही में तमिलनाडु विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा एक विशेष सत्र का आह्वान किया गया और इसके अतिरिक्त, अन्नाद्रमुक मंत्रियों के विरुद्ध मुकदमा चलाने की मंज़ूरी, तमिलनाडु लोक सेवा आयोग में नियुक्ति और कैदियों की समय से पूर्व रिहाई के संबंध में राज्य सरकार के निर्णय को राज्यपाल द्वारा बिना किसी स्पष्ट कारण के बावजूद अपने पास रोककर रखा गया था।

भारत में राज्यपाल के पद से जुड़ी प्रमुख चुनौतियाँ :

राज्यपालों की नियुक्ति :

- भारत में राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- भारत में राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा किए जाने से राज्यपाल की राजनीतिक तटस्थता और निष्पक्षता पर भी हमेशा सवाल खड़े होते हैं।
- भारत में कई बार केंद्र में सत्तारूढ़ दल के किसी सदस्य को राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया या राजनीतिक कारणों से उसे हटा दिया गया या स्थानांतरित कर देने का उदहरण भी देखने को मिलता है।जो भारत में राज्यपाल के पद की गरिमा और उनकी एक ही राज्य में स्थिरता की कमजोरी के रूप में देखा जाता है।

भारत में राज्यपाल की शक्तियाँ और भूमिका :

- भारत के संविधान द्वारा राज्यपाल को विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ और अनेक प्रकार की भूमिकाएं प्रदान की गई है।
- भारत में राज्यपाल को राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों पर सहमति देना, मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करना, राज्य के विभिन्न विषयों पर राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजना और कुछ राज्यों में विशेष उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने की शक्तियां प्राप्त है।
- भारत में राज्यपाल को संविधान द्वारा प्रदत भूमिकाएँ और शक्तियाँ प्रायः राज्यपाल के विवेकाधीन (discretion) होती हैं, जिससे कई बार कई राज्यों में निर्वाचित राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

राज्यपालों की जवाबदेही और प्रतिरक्षा :

- भारत में राज्यपाल को संबंधित राज्य सरकार में राष्ट्रपति के समकक्ष माना जाता है।
- राज्यपाल के संदर्भ में अक्सर यह देखा गया है कि वे केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करते देखा गया है।
- भारत में राज्यपालों की नियुक्ति अक्सर संबंधित निर्वाचित राज्य सरकारों की शक्ति पर नियंत्रण रखने के लिए नियुक्त किया जाता है।
- भारत में राज्यपाल को केंद्र सरकार की मर्जी से राष्ट्रपति द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है।
- वास्तविकता में भारत में राज्यपाल इस बात से आश्वस्त होते हैं कि जब तक वे केंद्र सरकार के अनुरूप कार्य करते रहेंगे, वे अपने पद पर बने रहेंगे।
- भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार भारत में राज्यपाल राज्य के प्रमुख के रूप में वे पद पर बने रहते हुए अपने कार्यों के लिए न्यायालयों के प्रति भी जवाबदेह नहीं होते हैं।

भारतीय संविधान द्वारा प्रदत राज्यपाल की शक्तियाँ :

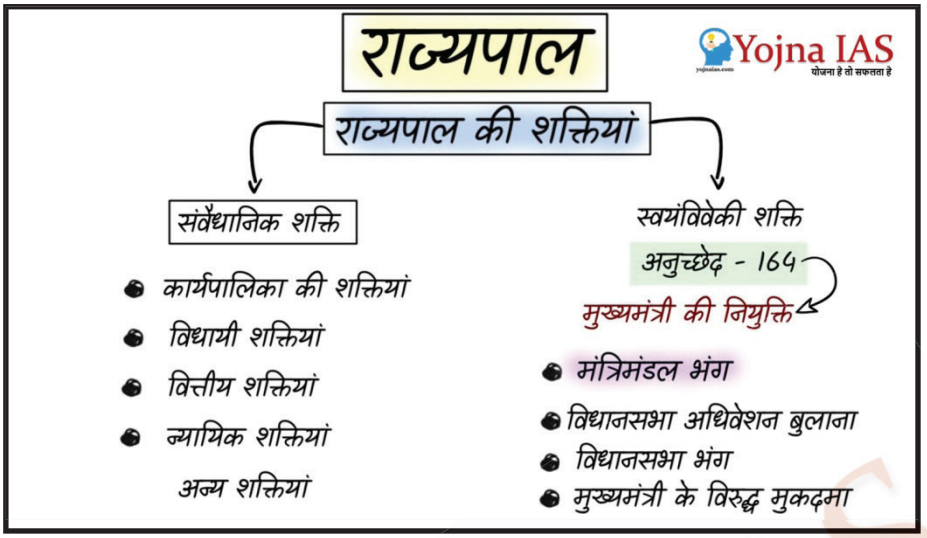

भारत के संविधान में राज्यपाल की शक्तियों का उल्लेख है जो संविधान के अनुच्छेद 200 और अनुच्छेद 201 द्वारा विधेयकों को पारित करने के संबंध में परिभाषित हैं।

संविधान के अनुच्छेद 200 और अनुच्छेद 201 के अनुसार, जब राज्य विधानमंडल द्वारा राज्यपाल के समक्ष कोई विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो **उनके पास निम्नलिखित विकल्प होते हैं:-**

- वह उस विधेयक पर सहमति दे सकता है, जिसका अर्थ है कि विधेयक एक अधिनियम या कानून बन जाता है।
- वह विधेयक पर अपनी सहमति नहीं डे सकता है या उस विधेयक को अपने रोक सकता है, जिसका अर्थ है कि उक्त को विधेयक निरस्त कर दिया गया है।
- धन विधेयक को छोड़कर वह किसी भी विधेयक को या उस विधेयक के कुछ उपबंधों पर पुनर्विचार के अनुरोध वाले संदेश के साथ राज्य विधानमंडल को वापस भेज सकता है।
- यदि उक्त विधेयक राज्य विधानमंडल द्वारा संशोधनों के साथ या बिना संशोधनों के दोबारा पारित किया जाता है तो राज्यपाल को उस विधेयक पर अपनी सहमति देनी ही पड़ती है।
- राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है, जो या तो विधेयक पर सहमति दे सकता है या अपनी अनुमति नहीं भी डे सकता है, या राज्यपाल को विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्य विधानमंडल को वापस भेजने का निर्देश दे सकता है।
- भारत में किसी भी राज्य का कोई भी विधेयक यदि उस राज्य के उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डाल सकता है तो राज्य-पाल द्वारा उस विधेयक पर रोक लगाना अनिवार्य होता है।
- कोई भी विधेयक भारत के संविधान के प्रावधानों, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों अथवा देश के व्यापक हित या गंभीर राष्ट्रीय महत्त्व के विरुद्ध है, या संविधान के अनुच्छेद 31 A, के तहत संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित है तो यह तय करना राज्यपाल के विवेकाधीन होता है।

भारत में राज्यपाल के पद को समाप्त कर देने के पक्ष और विपक्ष में प्रतुत किए जाने वाला तर्क :

- भारत में राज्यपालों द्वारा अनुचित और असंवैधानिक आचरण किए जाने पर प्रायः यह कहा जाता है कि इस भारत में राज्यपाल के पद को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए। हालाँकि यह तर्क अविवेकपूर्ण और अनावश्यक दोनों है।
- अविवेकपूर्ण कहे जाने के पीछे यह तर्क होता है कि क्योंकि वेस्टमिंस्टर संसदीय लोकतंत्र (Westminster parliamentary democracy) में राज्य के प्रमुख और सरकार के प्रमुख दोनों की उपस्थिति की आवश्यकता होती है और राज्यपाल का पद समाप्त करना उस पूरी संसदीय प्रणाली को समाप्त करने के समान होगा।
- अनावश्यक कहे जाने के पीछे यह तर्क निहित होता है कि क्योंकि न्यायिक हस्तक्षेप या संवैधानिक सुधार जैसे व्यवहार्य विकल्प

पहले से मौजूद हैं। अतः भारत में राज्यपाल के पद को समाप्त कर देना अनावश्यक है।

भारत में राज्यपाल के पद से संबंधित संविधान सभा के सदस्यों के विचार :

- भारत में संविधान सभा के कुछ सदस्य, जैसे दक्षिणायनी वेलायुधन, विश्वनाथ दास और एच.वी. कामथ राज्यपालों से संबंधित प्रावधानों के प्रखर आलोचक थे। उनका तर्क था कि संविधान का मसौदा चूंकि भारत सरकार अधिनियम 1935 की प्रतिकृति है जहाँ केंद्र को बहुत अधिक शक्तियाँ दी गई हैं और राज्यों की स्वायत्तता को कम कर दिया गया है। अतः उन्हें यह भी भय था कि राज्यपाल केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करेंगे और राज्य सरकारों के कार्य में हस्तक्षेप करेंगे।
- संविधान के मुख्य वास्तुकार डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने राज्यपालों से संबंधित मौजूदा प्रावधानों का बचाव किया था। उनका तर्क था कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में बदलाव करने के लिए बहुत कम समय था और राज्यपालों को केवल राज्य सरकारों के साथ मिलकर कार्य करना है, न कि उन पर शासन करना या हावी होना है। राज्यपाल द्वारा केंद्र के अनुसार कार्य करने की आशंक जिसकी संभावना संविधान सभा के कई सदस्यों द्वारा उजागर की गई, को डा. अंबेडकरख़ारिज कर दिया था। उन्होंने इस बारे में भी कुछ नहीं कहा कि राज्यपाल संबंधी प्रावधानों में कोई सुधार क्यों नहीं किया गया, जबकि भारत सरकार अधिनियम 1935 के कई प्रावधानों को आवश्यकतानुसार सुधार के साथ संविधान में शामिल किया गया था।

वर्तमान समय में राज्यपाल से संबंधित किए जाने वाले महत्वपूर्ण सुधार :

न्यायिक हस्तक्षेप :

- सर्वोच्च न्यायालय राज्यपालों के आचरण की निगरानी करना जारी रख सकता है और यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश या

टिप्पणियाँ जारी कर सकता है कि वे संविधान एवं कानून के अनुसार कार्य करें। इससे राज्यपालों की मनमानी या पक्षपातपूर्ण कार्रवाइयों को रोकने और भारतीय राजनीति के संघीय सिद्धांत या संघीय स्वरुप को बनाए रखने में मदद मिल सकती है।

वर्तमान नियुक्ति और निष्कासन प्रक्रिया में सुधार करना :

- भारत में राज्यपालों की नियुक्ति और निष्कासन की प्रक्रिया को बदलने के लिए भारत के मौजूदा संविधान में भी संशोधन किया जा सकता है, जैसा 'हेड्स हेल्ड हाई' के लेखकों ने सुझाव दिया है। इसमें एक अधिक पारदर्शी और परामर्शी तंत्र शामिल हो सकता है, जैसे कि कॉलेजियम या संसदीय समिति, जो योग्यता और उपयुक्तता के आधार पर उम्मीदवारों का चयन कर सकती है।राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव या न्यायिक जाँच की आवश्यकता के साथ राज्यपालों के निष्कासन को और भी कठिन बनाया जा सकता है।

राज्यपाल को राष्ट्रपति के समान दर्जा प्रदान कर राज्य के प्रति जवाबदेह बनाना :

- भारत में राज्यपाल को राज्य विधानमंडल के प्रति उसी तरह जवाबदेह बनाया जा सकता है जैसे राष्ट्रपति केंद्रीय संसद के प्रति जवाबदेह होता है। राज्यपाल के लिए भी निर्वाचन से नियुक्ति और महाभियोग से निष्कासन जैसी व्यवस्था किया जा सकता हैं।

राज्यपाल को एक निर्वाचित प्रतिनिधि बनाना :

- राज्यपाल को केंद्र सरकार द्वारा नामित व्यक्ति के बजाय राज्य का एक निर्वाचित प्रतिनिधि बनाया जा सकता है। इससे इस पद की जवाबदेही एवं वैधता बढ़ सकती है और केंद्र द्वारा हस्तक्षेप या प्रभाव की गुंजाइश कम हो सकती है। राज्यपाल का चुनाव राज्य विधानमंडल या राज्य के लोगों द्वारा किया जा सकता है, जैसा कि भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में होता है।

महाभियोग लगाकर पद से निष्काषित करना :

- भारत में राज्यपाल को संविधान के उल्लंघन या कदाचार के आधार पर राज्य विधानमंडल द्वारा महाभियोग चलाकर उसके पद से हटाया जा सकता है। जिससे यह राज्यपाल की शक्ति और अधिकार पर नियंत्रण एवं संतुलन प्रदान कर सकता है और राज्यपाल के पद को किसी भी दुरुपयोग करने से रोक सकता है। राज्यपाल पर महाभियोग की प्रक्रिया को राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया के समान ही बनाया जा सकता है, जहाँ कुल सदस्यता के बहुमत और राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है।

भारत में सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न समितियों द्वारा राज्यपाल से संबंधित सुझाए गए संवैधानिक सुधार :

भारत में सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न समितियों द्वारा राज्यपाल के पद से संबंधित समय – समय पर कुछ संवैधानिक सुधार सुझाये गए हैं। जो निम्नलिखित है –

सरकारिया आयोग (1988) की सिफारिशें :

- राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श के बाद की जानी चाहिए ।
- राज्यपाल को सार्वजनिक जीवन के किसी क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिये और उस राज्य से संबंधित नहीं होना चाहिये जहाँ वह नियुक्त किया जा रहा है।
- दुर्लभ एवं बाध्यकारी परिस्थितियों को छोड़कर राज्यपाल को उसका कार्यकाल पूरा होने से पहले नहीं हटाया जाना चाहिए ।
- राज्यपाल को केंद्र और राज्य के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करना चाहिए न कि केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करना चाहिए।
- राज्यपाल को अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग संयमित और विवेकपूर्ण तरीके से करना चाहिए और उनका उपयोग लोक-तांत्रिक प्रक्रिया को कमज़ोर करने के लिए नहीं बल्कि उसका उपयोग भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करेने के लिए करना चाहिए।

वेंकटचलैया आयोग (2002) के सुझाव :

- भारत में राज्यपालों की नियुक्ति की प्रक्रिया को एक समिति को सौंपी जानी चाहिए, जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री शामिल हों।
- भारत में राज्यपाल को पाँच वर्ष का कार्यकाल पूरा करने की अनुमति दी जानी चाहिए , जब तक कि दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर वे इस्तीफा नहीं दे देते या राष्ट्रपति द्वारा हटा नहीं दिए जाते हैं ।
- भारत में केंद्र सरकार को राज्यपाल को हटाने से संबंधित किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने से पहले संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह अवश्य लेनी चाहिए ।
- राज्यपाल को भी राज्य के दैनिक प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उन्हें राज्य सरकार के मित्र, दार्शनिक एवं मार्गदर्शक के समान कार्य करना चाहिए और अपनी विवेकाधीन शक्तियों का संयमपूर्वक उपयोग करना चाहिए।

पुंछी आयोग (2010) का सुझाव :

- भारत में राज्यपाल से संबंधित पुंछी आयोग ने संविधान से 'राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत' (during the pleasure of the President) वाक्यांश को हटाने की सिफारिश की, जिसके अनुसार राज्यपाल को केंद्र सरकार की इच्छा पर हटाया जा सकता है।
- पुंछी आयोग ने यह सुझाव भी दिया कि राज्यपाल को केवल राज्य विधानमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा उसके पद से ही हटाया जाना चाहिए , जो भारत में किसी भी राज्य के लिए अधिक स्थिरता और स्वायत्तता सुनिश्चित करेगा।

बी.पी. सिंघल बनाम भारत संघ (2010) में भारत के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय :

- बी.पी. सिंघल बनाम भारत संघ (2010) में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यपाल के पद के संबंध में निर्णय में कहा कि राष्ट्रपति किसी भी समय और बिना कोई कारण बताए राज्यपाल को हटा सकता है। भारत में यह प्रक्रिया इसलिए हो सकता है क्योंकि राज्यपाल भारत के संविधान के अनुच्छेद 156(1) के तहत 'राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत' अपने पद पर बना रहता है। हालाँकि सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि राज्यपाल के पद से किसी भी व्यक्ति का निष्कासन मनमाने तरीके या किसी भी अनुचित कारणों के आधार पर नहीं होना चाहिए, बल्कि भारत में राज्यपाल को पद से हटाने के लिए संविधान सम्मत तरीके अपनाए जाना चाहिए।

निष्कर्ष / समाधान की राह :

- भारत में राज्यपालों की भूमिका पर जारी चर्चा अत्यंत सूक्ष्म सुधारों की आवश्यकता को रेखांकित करती है, जबकि इस पद का पूर्ण उन्मूलन अविवेकपूर्ण समझा जाता है। अतः भारत में राज्यपालों की पारदर्शी नियुक्ति, उनकी पदेन जवाबदेही में वृद्धि और सीमित विवेकाधीन शक्तियों केउपयोग संयमपूर्वक करना होगा।

- भारत में लोकतांत्रिक सिद्धांतों या संवैधानिक मूल्यों को को कमज़ोरकिए बिना भी राज्यपाल के पद को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने को सुनिश्चित करने के लिए भारत में राज्य और केंद्र के हितों के बीच संतुलन बनाना अत्यंत महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी राज्य में राज्यपाल केवल रबड़ स्टाम्प या केंद्र सरकार का एजेंट भर नहीं होता है, बल्कि राजपाल अनेकों बार अपनी सूझ- बूझ से और अपनी विवेकाधीन शक्तियों का उपयोग कर राज्य सरकार और संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री के साथ मिलकर उस राज्य में बेहतर रूप से प्रशासनिक करवाई करते है और एक बेहतर, विवेकी प्रशासनिक तंत्र विकसित करते हैं और राज्य को उन्नत राज्य बनाने की दिशा में कार्य भी करते हैं।
- अतः कोई भी पद समय सापेक्ष होता है। अगर बदलते समय के साथ उस पद से संबंधित शक्तियों को बेहतर लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले राज्य में परिणत करने की कोई भी कोशिश होती है तो यह भारत के लोकतंत्र के साथ – ही – साथ संवैधानिक मूल्यों से ओत – प्रोत शासन व्यवस्था का सूचक है। जिससे राज्य में एक स्थिर , लोकतांत्रिक , समानतामूलक राज्य व्यवस्था की रीढ़ ही मजबूत होगी और भारत में राजपाल का पद भी अपनी गरिमा, संवैधानिक मूल्यों से लैश और अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने में भी सक्षम होगी। राज्यपाल संबंधित राज्य के मुख्यमत्री और मंत्रिमंडल के साथ तालमेल बिठाकर उस राज्य को एक पारदर्शी और न्यायपूर्ण शासन व्यवस्था देने में सक्षम हो सकेगा। क्योंकि जब भी कोई सरकार अविवेकी और तानाशाही की ओर उन्मुख होती है तो राज्यपाल के पद पर विराजमान न्याय का चाबुक उस निर्वाचित सरकार को न्यायिक चरित्र से युक्त एवं विवेकी बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत में राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. पुंछी आयोग के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श के बाद की जानी चाहिए ।
2. सरकारिया आयोग के अनुसार भारत में राज्यपालों की नियुक्ति की प्रक्रिया को एक समिति को सौंपी जानी चाहिए, जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री शामिल हों।
3. भारत में राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
4. भारत में राज्यपाल धन विधेयक के साथ – ही – साथ किसी भी विधेयक को या उस विधेयक के कुछ उपबंधों पर पुनर्विचार के अनुरोध वाले संदेश के साथ राज्य विधानमंडल को वापस भेज सकता है।

उपरोक्त कथन/ कथनों में कौन सा कथन सही है ?

(A) केवल 1 और 3

(B) केवल 2 और 4

(C) केवल 2

(D) केवल 3

उत्तर – (D)

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत में राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया को रेखांकित करते हुए राज्यपाल से संबंधित विभिन्न आयोगों के सुझावों के आलोक में राज्यपाल के पद से संबंधित चुनौतियों की विस्तारपूर्वक चर्चा कीजिए एवं उन चुनौतियों का समाधान भी प्रस्तुत कीजिए।

वर्तमान भू – राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रासंगिकता

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का गाजा में युद्ध विराम का आह्वान

स्त्रोत – द हिन्दू एवं पीआईबी।

सामान्य अध्ययन – अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, संयुक्त राष्ट्र , संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का महत्व एवं शक्तियाँ, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बदलाव की जरूरत

ख़बरों में क्यों ?

- हाल ही में 25 मार्च 2024 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) ने गाजा पर इजराइल के हमला शुरू करने के साढ़े पांच महीने बाद 'फौरन संघर्ष विराम' और हमास द्वारा सभी बंधकों की रिहाई का आह्वान किया है।
- गाजा – इजराइल युद्ध में लगभग 32,000 फिलिस्तीनी नागरिक मारे जा चुके हैं और करीब 74,000 लोग जख्मी भी हो गए हैं।
- इस युध्द में गाजा की करीब 90 प्रतिशात से अधिक आबादी विस्थापित हो चुकी है और लगभग सभी आबादी एक भयावह भुखमरी के संकट में हैं।
- गाजा में फौरन संघर्ष विराम के लिए संयुक्त राष्ट्र में हर प्रस्ताव पर वीटो लगाने वाला अमेरिका इस मतदान से अलग ही रहा। यह इस युद्ध को लेकर बाइडेन प्रशासन की नीति में बदलाव का इशारा करता है।
- ब्रिटेन समेत यूएनएससी के सभी सदस्यों ने संघर्ष विराम के प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है।
- इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संघर्ष विराम करने के प्रस्ताव के विरोध में गुस्से में अपने दो करीबी कैबिनेट सह-योगियों की वाशिंगटन की पूर्व – निर्धारित यात्रा रद्द कर दिया है, और संघर्ष विराम के लिए बंधकों की बिना शर्त रिहाई के संदर्भ में चीन और रूस द्वारा समर्थित इस प्रस्ताव की कड़ी आलोचना भी किया है।
- 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा सीमा पार युद्ध की घोषणा के बाद करीब 1200 इजराइली नागरिक मारे गये थे।
- हमास द्वारा इजराइल पर आक्रमण के दिन पूरी दुनिया की हमदर्दी और एकजुटता इजराइल के साथ थी। लेकिन इसके बाद कुछ महीनों में इजराइल ने हमास की करतूत के लिए गाजा की पूरी आबादी को दंडित करने के लिए जो किया, उसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जनमत को उसके खिलाफ कर दिया है।
- ऐसी परिस्थिति में इजराइल अगर इस स्थिति का मानवीय आधार पर एक वस्तुनिष्ठ आकलन करे तो उसे यूएनएससी के प्रस्ताव का तुरंत पालन करना चाहिए और संघर्ष विराम को घोषित कर देना चाहिए।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL – UNSC) :

- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों की सुरक्षा के प्रबंधन के लिए सबसे बड़ा मंच माना जाता है।
- विश्व में शांति-व्यवस्था को बनाए रखने और सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत का अनुपालन सुनिश्चित कराने का उत्तरदायित्व संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पर ही रहता है।
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता में समय-समय पर परिवर्तन होता रहता है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का परिचय :

- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र की सबसे महत्त्वपूर्ण इकाई है, जिसका गठन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वर्ष 1945 में हुआ था।
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में स्थित है।
- सुरक्षा परिषद में पाँच स्थायी सदस्य हैं – संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, फ्रांस, रूस और यूनाइटेड किंगडम (ब्रिटेन) – जिन्हें सामूहिक रूप से P5 के रूप में जाना जाता है।
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मूल रूप से 11 सदस्य देश ही थे जिसे वर्ष 1965 में बढ़ाकर 15 देशों के सदस्यों वाला एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन में परिणत कर दिया गया।
- सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देशों के पास वीटो की शक्ति का अधिकार होता है, जबकि इन स्थायी सदस्य देशों के अलावा 10 अन्य देशों को जिन्हें दो वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में सुरक्षा परिषद में शामिल किया जाता है, उन्हें वीटो करने की शक्ति प्रदान नहीं की जाती है।
- सुरक्षा परिषद के इन देशों की सदस्यता दूसरे विश्व युद्ध के बाद के शक्ति संतुलन को प्रदर्शित करने के लिए किया गया है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का महत्व एवं शक्तियाँ :

UNSC
UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL

- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र का सबसे शक्तिशाली निकाय है जिसकी प्राथमिक ज़िम्मेदारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सभी देशों की सुरक्षा को कायम रखना है।
- इसकी प्रमुख शक्तियों में शांति अभियानों में योगदान देने में, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को लागू करने में तथा सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के माध्यम से सैन्य कार्रवाई करना भी शामिल होता है।
- यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों पर बाध्यकारी प्रस्ताव जारी करने का अधिकार वाला संयुक्त राष्ट्र का एकमात्र निकाय है।
- इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र के एक चार्टर के माध्यम से किया गया जिसमें सभी सदस्य देश सुरक्षा परिषद के निर्णयों का पालन करने के लिए बाध्य होते हैं।
- वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पाँच स्थायी सदस्यों के पास वीटो पॉवर का अधिकार है। **वीटो पॉवर का अर्थ होता है – ' निषेधाधिकार '।**
- स्थायी सदस्यों के निर्णय से अगर कोई भी एक स्थायी सदस्य सहमत नहीं है तो वह वीटो पॉवर का इस्तेमाल करके उस निर्णय को रोक सकता है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता प्राप्त करने के लाभ :

- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र की एक प्रमुख निर्णय लेने वाली संस्था है।
- किसी भी देश पर किसी भी तरह का प्रतिबंध लगाने या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के किसी भी फैसले को लागू करने के लिए सदस्य

देशों को सुरक्षा परिषद के समर्थन की आवश्यकता होती है।

- भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता मिलने से भारत वैश्विक भू-राजनीति में अधिक मज़बूती से अपनी बात कहने में सक्षम हो सकता है ।
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिलने के बाद भारत को वीटो पॉवर की शक्ति भी मिल जाएगी।
- सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता वाह्य सुरक्षा खतरों और भारत के खिलाफ राज्य प्रायोजित आतंकवाद के समाधान के लिए एक तंत्र को मज़बूत करने में सहायक सिद्ध होगी।

वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बदलाव की जरूरत :

- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्रमुख वैश्विक निकाय है, लेकिन इक्कीसवीं सदी में वैश्विक स्तर पर उत्पन्न विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का बेहतर ढंग से सामना करने के लिए इसमें वर्तमान समय के सापेक्ष सुधार करने की लगातार जरूरत है।
- इक्कीसवीं सदी में वैश्विक स्तर पर उत्पन्न विभिन्न प्रकार की साइबर अपराध , जैव – अपराध और परमाणु बमों के बढ़ते प्रसार जैसी चुनौतियों का सामना पूरे विश्व के देशों को करना पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी वर्तमान समय में बढ़ते अपराधों की प्रवृतियों के अनुसार व्यापक परिवर्तन की जरूरत है।
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना वर्ष 1945 की भू-राजनीति के हिसाब से की गई थी। वर्तमान समय की भू-राजनीति द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि से अब काफी अलग प्रकृति के अनुसार हो चुकी है।
- विश्व में शीत युद्ध की समाप्ति के बाद से ही इसमें सुधार की ज़रूरत महसूस की जा रही है। इसमें कई तरह के सुधार की आवश्यकता है जिसमें संगठनात्मक बनावट और प्रक्रियागत सुधारों जैसे सबसे महत्वपूर्ण बदलावों की जरूरत है।
- वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी देशों में यूरोप का सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व है। जबकि यूरोप में विश्व की कुल आबादी का मात्र 5 प्रतिशत नागरिक ही निवास करती है।
- अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका का कोई भी देश सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। जबकि संयुक्त राष्ट्र का 50 प्रतिशत से अधिक कार्य अकेले अफ्रीकी देशों से संबंधित होता है।
- वैश्विक स्तर पर शांति स्थापित करने वाले अभियानों में अहम भूमिका निभाने के बावजूद भारत जैसे अन्य देशों के पक्ष को मौजूदा सदस्यों द्वारा नज़रअंदाज़ कर दिया जाना विश्व की सबसे बड़ी और उभरती पांचवी आर्थिक महाशक्ति वाले देश भारत को इसमें स्थायी सदस्यता की जरूरत वर्तमान समय के अनुकूल है।
- संयुक्त राष्ट्र संघ के ढाँचे में सुधार की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि इसमें अमेरिका का वर्चस्व है, जबकि वैश्विक स्तर पर अन्य देश भी अमेरिका के सापेक्ष उभरती आर्थिक महाशक्ति के रूप में खड़ा है। अमेरिका अपनी सैन्य और आर्थिक शक्ति के बल पर संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों की भी अनदेखी करता रहा है, जिसे वर्तमान में कोई भी आर्थिक महाशक्ति वाला देश बर्दाश्त नहीं कर सकता है। अतः वर्तमान समय की वैश्विक जरूरतों और अपराधों की बदलती प्रकृतियों के अनुसार अब इस संगठन में बदलाव करने की अत्यंत जरूरत है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता मिलने के लिए पक्ष में दिए जाने वाला तर्क :

- भारत, दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है, जिसकी आबादी करीब एक अरब चालीस करोड़ है। जहाँ विश्व की कुल जनसंख्या का करीब 1/5वाँ हिस्सा निवास करता है।
- वर्तमान समय में भारत विश्व की एक उभरती हुई आर्थिक महाशक्ति है। वैश्विक स्तर पर भारत के बढ़ते आर्थिक महाशक्ति वाले हैसियत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत के दावों को और भी मज़बूत आधार प्रदान करता है। वर्तमान समय में भारत विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसके अलावा पीपीपी पर आधारित जीडीपी की दृष्टि से भारत विश्व की तीन सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भी शामिल है।
- भारत को अब विश्व व्यापार संगठन, ब्रिक्स और जी-20 जैसे आर्थिक संगठनों में सबसे प्रभावशाली देशों में गिना जाता है।
- भारत ने वर्ष 2023 में जी-20 जैसे आर्थिक संगठन की मेजबानी भी सफलतापूर्वक संपन्न किया है।
- भारत की विदेश नीति ऐतिहासिक रूप से विश्व शांति और भाईचारे को बढ़ावा देने वाली रही है, तथा भारत सदैव **" वसुधैव कुटुम्बकम "** की अवधारणा में विश्वास करने वाला देश है।
- भारत संयुक्त राष्ट्र की सेना में सबसे अधिक संख्या में सैनिक भेजने वाला देश भी है।

निष्कर्ष / समाधान की राह :

- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सदस्यता निश्चित तौर पर स्थायी सदस्यता की दिशा में अग्रसर होने के लिये एक महत्त्वपूर्ण प्रयास होगा।
- स्थायी सदस्यता भारत को वैश्विक राजनीति के स्तर पर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्राँस, चीन और रूस के समकक्ष लाकर खड़ा कर देगा।
- अतः संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिये भारत को भी और अधिक गंभीर प्रयास करने की आवश्यकता है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका ने ऐतिहासिक रूप से इज़राइल को सुरक्षा परिषद के फैसलों से बचाने के लिए अपनी वीटो शक्ति का उपयोग किया है।
- सन 1972 के बाद से इसके लगभग एक तिहाई नकारात्मक वोट इज़राइल के आलोचनात्मक प्रस्तावों पर लागू होते हैं।
- चीन ने हाल के वर्षों में वीटो का अधिक बार उपयोग किया है, हालांकि यह ऐतिहासिक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका या रूस की तुलना में अधिक संयमित ही रहा है, लेकिन बीजिंग ने अब बीस प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया है।
- सोवियत संघ का पूरा नाम सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ था। रूस यूएसएसआर का प्रमुख गणराज्य था।
- सन 1991 में यूएसएसआर के विघटन के बाद से, चीन और रूस ने एक चौथाई से अधिक बार वीटो किया है। इसके विपरीत, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम (ब्रिटेन) ने 1989 से अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं किया है और अन्य P5 सदस्यों से इसका कम उपयोग करने को भी कहा है।
- इजराइल और हमास के बीच हो रहे जारी युद्ध ने इजराइल के सबसे करीबी सहयोगी अमेरिका समेत उसके करीबी सहयोगियों के साथ भी उसके संबंधों में तनाव बढ़ रहा है।
- अगर इजराइल यह युद्ध जारी रखता है तो इससे उसकी वो घरेलू और अंतरराष्ट्रीय चुनौतियां और बढ़ेंगी। इसके अलावा, अरक्षित, प्रहार से पस्त, घेराबंदी में फंसे, बमबारी से तबाह गाजा पट्टी में और भी लोगों की जानें जायेंगी।
- इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के सामने अब दो ही विकल्प मौजूद हैं।

- वह यूएनएससी के अपील पर गंभीरतापूर्वक सोचे और इस युद्ध को रोकें, गाजा में त्वरित स्तर पर मानवीय सहायता की इजाजत दें और सभी बंधकों की रिहाई व गाजा पट्टी से अपनी सेनाओं की वापसी के लिए अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थों के जरिए हमास से बातचीत और आपसी संवाद को जारी रखें। अथवा
- बेंजामिन नेतन्याहू अपने देश इजराइल को स्थायी युद्ध के अंधकार में धकेल दे।
- इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के द्वारा गाजा में युद्ध विराम करने के आह्वान को मानते हुए अपनी सेनाओं की वापसी के लिए अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थों के जरिए हमास से बातचीत और आपसी संवाद को जारी रखना चाहिए , ताकि और अधिक लोगों की जिंदगियों को बचाया जा सके और इस पृथ्वी पर मानवीय संवेदनाओं , मानवीय अस्मिताओं और मानवता की रक्षा की जा सके।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन डी. सी. शहर में स्थित है।
2. सुरक्षा परिषद में पाँच स्थायी सदस्य हैं – संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, फ्रांस, रूस और यूनाइटेड किंगडम (ब्रिटेन) – जिन्हें सामूहिक रूप से P5 के रूप में जाना जाता है।
3. इसका गठन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वर्ष 1943 में हुआ था।
4. सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देशों के पास वीटो की शक्ति का अधिकार होता है, जबकि अस्थायी सदस्य देशों को वीटो करने की शक्ति नहीं होती है।

उपरोक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

(A) केवल 1 और 3

(B) केवल 2 और 4

(c) केवल 1 और 2

(D) केवल 2 और 4

उत्तर – (B)

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. 'वीटो की शक्ति' की व्याख्या करते हुए यह चर्चा कीजिए कि वर्तमान भू – राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की कार्य एवं शक्तियों की क्या प्रासंगिकता है ? क्या इसके वर्तमान स्वरूप में परिवर्तन करने की आवश्यकता है ? तर्कसंगत उत्तर दीजिए।

धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) 2002 और भारत में मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी

स्त्रोत – द हिन्दू एवं पीआईबी।

सामान्य अध्ययन – भारतीय राजनीति एवं शासन व्यवस्था, भारत की केन्द्रीय जाँच एजेंसी, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय, दिल्ली शराब नीति घोटाला, धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) 2002

खबरों में क्यों ?

- हाल ही में 22 मार्च 2024 को दिल्ली की एक अदालत ने 'दिल्ली शराब नीति' मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च 2024 तक भारत की केन्द्रीय एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED) की हिरासत में भेज दिया।
- भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था के इतिहास में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए भारत की केन्द्रीय एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार होने वाले देश के पहले मुख्यमंत्री बन गए है।
- भारत की केन्द्रीय एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत में कहा कि "आम आदमी पार्टी (आप) प्रमुख अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब नीति घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता और इस घोटाले के मुखिया और मुख्य आरोपी हैं।
- इससे मामले से पूर्व झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने से पहले झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था।

दिल्ली शराब नीति / दिल्ली आबकारी नीति घोटाले की पृष्ठभूमि :

- भारत में दिल्ली शराब नीति घोटाले से संबंधित दो मामले दर्ज किए गए हैं – एक CBI द्वारा, और दूसरा, कथित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज किया गया है।
- दिल्ली शराब नीति घोटाले का यह मामला जुलाई 2022 में दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार द्वारा उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को सौंपी गई एक रिपोर्ट के बाद सामने आया, जिसमें दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021 – 22 को बनाने में कथित प्रक्रियात्मक खामियों को बताया गया था।
- दिल्ली आबकारी नीति मामला 2021 – 22 दिल्ली में नवंबर 2021 में लागू हुई थी, लेकिन जुलाई 2022 में इस नीति को खत्म कर दिया गया था।
- दिल्ली आबकारी नीति मामला 2021 – 22 के तहत यह आरोप लगाया गया है कि "आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार के नेताओं द्वारा शराब व्यवसाय से जुड़े शराब माफियाऔर संचालकों से लाइसेंस शुल्क में छूट देने के लिए और इसकी अवधि

में विस्तार करने के साथ – ही – साथ कोविड -19 महामारी के कारण होने वाले व्यवधानों के कारण राहत जैसे वरीयता प्रदान करने के एवज में दिल्ली सरकार द्वारा रिश्वत लिया गया और इस रिश्वत की धनराशि का इस्तेमाल 2022 की शुरुआत में पंजाब और गोवा में विधानसभा चुनावों में खर्चे के लिए और इन चुनाव को प्रभावित करने के लिए किया गया था"।

- भारत की केन्द्रीय एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने यह भी आरोप लगाया कि यह घोटाला थोक शराब कारोबार को दिल्ली सरकार द्वारा नामित सरकारी दुकानों के बदले निजी व्यक्तियों और संस्थाओं को देने के लिए 6% रिश्वत के बदले 12% लाभ नीति द्वारा तय किया गया था।

नई शराब नीति के तहत दिल्ली सरकार के 5 मुख्य फैसले

- पूरी दिल्ली को 32 जोन में बांटकर हर जोन में 27 लिकर वेंडर रखने की बात कही गई।
- इसमें फैसला किया गया कि दिल्ली सरकार अब शराब बेचने का काम नहीं करेगी।
- हर वार्ड में 2 से 3 वेंडर को शराब बेचने की अनुमति दी जाएगी।
- अब दिल्ली में शराब बेचने के लिए सिर्फ प्राइवेट दुकानें होंगी।
- शराब दुकानों के लिए लाइसेंस देने की प्रोसेस को आसान और फ्लेक्सिबल बनाया जाएगा।

नई शराब नीति में इन नियमों को तोड़ने का आरोप

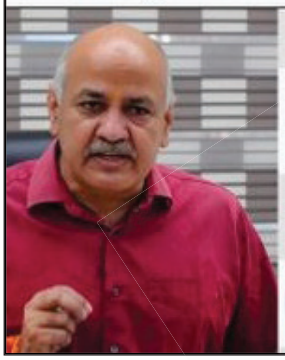

1991	GNCTD अधिनियम
1993	व्यापार नियमों के लेनदेन (TOBR)
2009	दिल्ली उत्पाद शुल्क अधिनियम
2010	दिल्ली उत्पाद शुल्क नियम

धन शोधन या मनी लॉन्ड्रिंग का अर्थ :

- मनी लांड्रिंग एक ऐसी प्रक्रिया को कहते हैं जो अवैध तरीके से अर्जित धन या काला धन को इस प्रकार बदल दे कि वह वैध स्रोतों से प्राप्त किया हुआ लगाने लगे या वह वैध धन बन जाए।
- भारत में मनी लांड्रिंग केवल एक स्वतंत्र अपराध ही नहीं है, बल्कि यह पहले से किए गए काला धन को छुपाने के अपराध पर पर्दा डालने की प्रक्रियागत कार्य भी है।
- **मनी लॉन्ड्रिंग'** शब्द की उत्पत्ति संयुक्त राज्य अमेरिका में माफिया समूह से उत्पन्न हुई थी. माफिया समूहों ने जबरन वसूली, जुआ इत्यादि से भारी मात्रा में कमाई की और इस पैसे को वैध स्रोत (जैसे लाउन्डोमेट्स) के रूप में दिखाया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 1980 के दशक में मनी लॉन्ड्रिंग एक चिंता का विषय बन गया था।
- भारत में, **"मनी लॉन्ड्रिंग"** को लोकप्रिय रूप में हवाला लेनदेन के रूप में जाना जाता है. भारत में यह सबसे ज्यादा लोकप्रिय 1990 के दशक के दौरान हुआ था जब इसमें कई नेताओं के नाम उजागर हुए थे।
- मनी लॉन्ड्रिंग का तात्पर्य अवैध तरीके से कमाए गए काले धन को वैध तरीके से कमाए गए धन के रूप में दिखाने से होता है। मनी लॉन्ड्रिंग अवैध रूप से प्राप्त धनराशि को छुपाने का एक तरीका है।
- धन शोधन के माध्यम से प्राप्त धन को ऐसे कामों या ऐसे निवेश में लगाया जाता है कि जाँच करने वाली एजेंसियां भी धन के मुख्य स्त्रोत का पता नही लगा पातीं है।

- अवैध तरीके से प्राप्त धन शोधन की प्रक्रिया में जो व्यक्ति धन की हेरा फेरी करता है उसको **"लाउन्डरर"** कहा जाता है।
- धन शोधन की प्रक्रिया में अवैध माध्यम से कमाया गया काला धन सफ़ेद होकर अपने असली मालिक के पास वैध मुद्रा के रूप में लौट आता है।

मनी लांड्रिंग : एक संगठित अपराध :

- मनी लांड्रिंग एवं संगठित अपराध का अत्यंत गहरा संबंध होता है। धन शोधन कराने वाले मादक द्रव्यों की तस्करी, अंतरराष्ट्रीय जालसाजी, हथियारों की तस्करी आदि से बहुत बड़ी मात्रा में लाभ प्राप्त करते हैं।
- इस लाभ को धन शोधन के द्वारा अवैध संपत्ति में बदल देने के बाद अपराधियों के पकड़े जाने का खतरा समाप्त हो जाता है। ऐसे में नए-नए अपराध को अंजाम दिया जाता है।

भारत में धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) 2002 :

- धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) को 2002 में पारित किया गया था। उसके बाद 1 जुलाई 2005 में इस अधिनियम को लागू कर दिया गया।
- PMLA – 2002 को, भारत की वैश्विक प्रतिबद्धता (वियना कन्वेंशन) की अनुक्रिया में, धन शोधन की समस्या का मुकाबला करने के लिए अधिनियमित किया गया था।
- भारत में धन शोधन कानून, 2002 में अधिनियमित किया गया था, लेकिन इसमें 3 बार संशोधन (2005, 2009 और 2012) किया जा चुका है। वर्ष 2012 में इसमें हुए आखिरी संशोधन को जनवरी 3, 2013 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली थी और यह कानून 15 फरवरी 2013 से पूरे भारत लागू हो गया था।
- पीएमएलए (संशोधन) अधिनियम, 2012 ने अपराधों की सूची में धन को छुपाना (concealment), अधिग्रहण (acquisition) कब्जा (possession) और धन का आपराधिक कामों में उपयोग करना (use of proceeds of crime) इत्यादि को शामिल किया गया है।
- PMLA, 2002 में आरबीआई, सेबी और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) को पीएमएलए के तहत लाया गया है और इसलिए इस अधिनियम के तहत के सभी प्रावधान सभी वित्तीय संस्थानों, बैंकों, म्यूचुअल फंडों, बीमा कंपनियों और उनके वित्तीय मध्यस्थों पर लागू होते हैं।
- PMLA – 2002 के अनुसार "कोई भी व्यक्ति या संस्था, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होने का प्रयास करता है या जानबूझकर सहायता करता है या जानबूझकर एक पार्टी है या वास्तव में अपराध की आय से जुड़ी किसी भी प्रक्रिया या गतिविधि में शामिल है, जिसमें इसे छिपाना, अपने पास रखने, अधिग्रहण या उपयोग करने और इसे बेदाग संपत्ति के रूप में पेश करता है या बेदाग संपत्ति के रूप में दावा करता है, तो वह मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध का दोषी माना जायेगा"।
- इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है। इसका मकसद आर्थिक अपराधों में काले धन के इस्तेमाल को रोकना, मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल या उससे मिली संपत्ति को जब्त करना और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े दूसरे अपराधों पर अंकुश लगाना है। इस एक्ट के अंतर्गत अपराधों की जांच की जिम्मेदारी प्रवर्तन निदेशालय की है।
- PMLA के तहत दंड का प्रावधान: है। PMLA के तहत, मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के माध्यम से कमाई गई संपत्ति को जब्त किया जाता है। इसके तहत कम से कम 3 वर्ष से 7 वर्ष तक कठोर कारावास की सजा का प्रावधान है।

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) :

- **भारत में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की स्थापना वर्ष 1 अप्रैल 1963 में हुई थी।**
- केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो भारत सरकार की एक प्रमुख जाँच एजेन्सी है।
- इसकी स्थापना भारत में आपराधिक एवं राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए भिन्न-भिन्न प्रकार के मामलों की जाँच करने के लिए किया

गया है।

- यह भारत में दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान (Delhi Special Police Establishment- DSPE) अधिनियम द्वारा शासित है।
- इसकी स्थापना भ्रष्टाचार निवारण पर **संथानम समिति (1962-1964)** के सुझावों पर की गई थी।
- वर्तमान में CBI भारत सरकार के कार्मिक विभाग, कार्मिक, पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय के अधीन कार्य करती है।

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) का प्रमुख कार्य :

- भारत में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो का मुख्य कार्य भारतीय अधिकारियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निगमों और भारत सरकार के स्वामित्त्व या नियंत्रण वाले निकायों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी तथा दुर्व्यवहार के मामलों की जाँच करना है।
- भारत में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो का एक मुख्य कार्य राजकोषीय और आर्थिक कानूनों के उल्लंघन से संबंधित मामलों की जाँच करना, अर्थात् निर्यात एवं आयात नियंत्रण, सीमा शुल्क तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क, आयकर विदेशी मुद्रा नियमों से संबंधित कानूनों का उल्लंघन से संबंधित मामलों की भी जाँच करना है। उदाहरण के लिए – बैंक से संबंधित धोखाधड़ी. विदेशी मुद्रा उल्लंघन से संबंधित मामले, नकली भारतीय करेंसी नोट और भारत में आयात – निर्यात आदि से संबंधित मामले।

प्रवर्तन निदेशालय :

- भारत में केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना सन 1956 में किया गया था।
- यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन एक विशेष वित्तीय जांच एजेन्सी है जिसका मुख्यालय नयी दिल्ली में स्थित है।
- प्रवर्तन निदेशालय के प्रमुख कार्यों में; फेमा, 1999 के उल्लंघन से संबंधित मामलों, "हवाला" लेन देनों और विदेशी विनिमय नियमों का उल्लंघन और फेमा के तहत अन्य प्रकार के उल्लंघन से संबंधित मामलों की जांच करना शामिल है।

- प्रवर्तन निदेशालय एक बहु-अनुशासनिक संगठन है जो धन शोधन के अपराध और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन की जांच के लिए बनाई गई संस्था है।
- भारत में धन शोधन पहले विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के नियमों के तहत कार्यवाही करता था लेकिन बाद में इसे फेरा को फेमा के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया था।

प्रवर्तन निदेशालय का प्रमुख कार्य :

प्रवर्तन निदेशालय का प्रमुख कार्य निम्नलिखित है –

भारत में प्रवर्तन निदेशालय फेमा के प्रावधानों के तहत संदिग्ध मामलों के उल्लंघन से संबंधित मामलों की जांच करता है। भारत में संदिग्ध मामलों के उल्लंघन से संबंधित मामलों में निम्नलिखित मामलों को शामिल किया गया है –

1. **निर्यात मूल्य को अधिक आंकना और आयात मूल्य को कम आंकना।**
2. **हवाला के तहत किया गया लेनदेन।**
3. **भारत के बहार विदेशों में संपत्ति को खरीदना।**
4. **विदेशी मुद्रा का भारी मात्रा में अवैध रूप करना से संग्रह करना।**
5. **विदेशी मुद्रा का अवैध रूप से व्यापार करना।**
6. **विदेशी विनिमय नियमों का उल्लंघन और फेमा के तहत अन्य प्रकार के उल्लंघन से संबंधित मामला।**

- भारत में प्रवर्तन निदेशालय सबसे पहले फेमा के 1999 के कानूनों के तहत उल्लंघन किए जाने वाले मामले के संबंध में खुफिया जानकारी एकत्र करता है, और फिर उसे भारत में उस मामले से संबंधित एजेंसियों के साथ उसे साझा करता है। भारत में प्रवर्तन निदेशालय को केंद्र और उस राज्य से संबंधित की खुफिया एजेंसियों के माध्यम से शिकायतों आदि से खुफिया और गुप्त जानकारी प्राप्त होती है।
- भारत में प्रवर्तन निदेशालय के पास फेमा के उल्लंघन के दोषी पाए गए दोषियों की संपत्ति को कुर्की करने या जब्त करने का अधिकार है।
- धन शोधन अधिनियम [धारा 2 (1) (D)] के अध्याय III के तहत "संपत्ति की कुर्की" का अर्थ है – संपत्ति की जब्ती, संपत्ति का अन्य व्यक्ति को हस्तांतरण करना या रूपांतरण करना और उक्त संपति को बेचने पर रोक लगाना शामिल है।
- धन शोधन अधिनियम के तहत इस नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ; खोज, जब्ती, गिरफ्तारी, और अभियोजन की कार्रवाई आदि करना भी शामिल है।
- मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम के अंतर्गत धन शोधन के अपराधी के हस्तांतरण के लिए संबंधित राज्यों से कानूनी रूप से प्रत्यार्पण करवाना और इसके अलावा अपराधियों के हस्तांतरण से संबंधित कार्यवाही पूरी करना शामिल है।

- भारत में प्रवर्तन निदेशालय को भारत में पूर्व के FERA कानून 1973 और उसके बाद FEMA, 1999 के उल्लंघन के मामलों को निपटाने और निपटान कार्यवाही के समापन पर लगाए गए दंड का निर्णय करने का अधिकार प्राप्त है।
- इस प्रकार प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना के मुख्य उद्देश्यों में शामिल है कि देश में मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करना जिसमें उनकी संपत्ति जब्त करना शामिल है।

निष्कर्ष / समाधान की राह :

- भारत में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के नेता अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना भारतीय लोकतंत्र और भारत के सघवादी स्वरुप के संदर्भ में सवाल खड़ा करती है।
- वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा के आम चुनाव से ठीक पहले विपक्ष के एक प्रमुख नेता और भारत के एक राज्य के एक पदासीन मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी को भारत में केन्द्रीय स्तर पर सत्तारूढ़ सरकार द्वारा अपने मुख्य विपक्षी राजनीतिक दल को परेशान करने के रूप में भी देखा जा रहा है ।
- वर्तमान समय में केजरीवाल अब खुद ही उस तर्क में फंस गए हैं, जिसे उन्होंने अन्ना आंदोलन के समय भारत की आम जनता के बीच लोकप्रिय बनाया था । लेकिन गलत के साथ गलत,कभी भी सही नहीं होता है।
- भारत के विभिन्न राज्यों द्वारा केंद्र में सत्तासीन सरकार द्वारा अपने राजनीतिक विरोधियों द्वारा शासित राज्यों के खिलाफ केन्द्रीय जाँच एजेंसियों का दुरुपयोग करने, विपक्षी राजनीतिक दलों को डराने या पक्षपाती होने का आरोप लगाया जाता रहा है। ऐसी परिस्थिति में केन्द्रीय जाँच एजेंसियों को भी निष्पक्ष, स्वतंत्र और तटस्थ रहने की जरूरत है और भारत के संविधान द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र के तहत प्राप्त शक्तियों को बिना किसी पक्षपात एवं निष्पक्ष रूप से क्रियान्वित करने की जरूरत है ताकि भविष्य में भारत में केंद्र – राज्य संबंधों के बीच गतिरोध की स्थिति उत्पन्न नहीं हो।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. भारत में सबसे पहले धन शोधन निवारण अधिनियम को 2002 में पारित किया गया था। जिसे 1 जुलाई 2005 से पूरे भारत में लागू कर दिया गया था।
2. मनी लॉन्ड्रिंग का तात्पर्य अवैध तरीके से कमाए गए काले धन को वैध तरीके से कमाए गए धन के रूप में दिखाने से होता है।
3. भारत में PMLA, 2002 के तहत आरबीआई, सेबी और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) को भी शामिल किया गया है। अतः इस अधिनियम के सभी प्रावधान सभी वित्तीय संस्थानों, बैंकों, म्यूचुअल फंडों, बीमा कंपनियों और उनके वित्तीय मध्यस्थों पर लागू होते हैं।

4. PMLA 2002 के तहत, मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के माध्यम से कमाई गई संपत्ति को जब्त किया जाता है और इसमें कम से कम 3 वर्ष से 7 वर्ष तक कठोर कारावास की सजा का प्रावधान है।

उपरोक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

(A). केवल 1, 2 और 3

(B). केवल 2, 3 और 4

(C). इनमें से कोई नहीं।

(D). इनमे से सभी।

उत्तर – (D)

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. मनी लॉन्ड्रिंग से आप क्या समझते है ? यह चर्चा कीजिए कि भारत में धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के प्रमुख प्रावधानों के तहत प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष क्या – क्या चुनौतियाँ है एवं इसका क्या समाधान है ?

भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 और भारत में बेरोजगारी

स्त्रोत – द हिन्दू एवं पीआईबी।

सामान्य अध्ययन – भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, बेरोजगारी, भारत रोजगार रिपोर्ट 2024, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण।

ख़बरों में क्यों ?

- हाल ही में 26 मार्च 2024 को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO और मानव विकास संस्थान (IHD) ने संयुक्त रूप से भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 नामक एक रिपोर्ट प्रकाशित की है।
- इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में काम की तलाश में लगे बेरोजगारों में से कुल 83% युवा बेरोजगार हैं।
- रिपोर्ट के अनुसार, 2000-2019 के दौरान दीर्घकालिक गिरावट के बाद हाल के वर्षों में भारत में समग्र श्रम बल भागीदारी, का-

र्यबल भागीदारी और रोजगार दरों में सुधार हुआ है।

- वर्ष 2021 में भारत की कुल आबादी में से 27% युवा आबादी था, जो वर्ष 2036 तक घटकर 21% हो जाएगी और प्रति वर्ष 70 से 80 लाख और युवा आबादी कार्यबल में जुड़ जाएंगे।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में युवाओं का रोजगार (Youth Employment), वयस्कों के रोजगार (Adults Employment) की तुलना में काफी हद तक खराब गुणवत्ता वाला है।
- भारत में कमजोर व्यवसायों या अनौपचारिक क्षेत्रों में युवाओं के नियोजित होने की संभावना सबसे अधिक है।
- इस रिपोर्ट के अनुसार भारत सबसे अधिक युवा बेरोजगारी दर स्नातक डिग्री वाले युवाओं में है और यह पुरुषों की तुलना में महिलाओं में सबसे अधिक है।
- वे महिलाएं जो रोजगार, शिक्षा या प्रशिक्षण में संलग्न नहीं हैं, का अनुपात उनके पुरुष समकक्षों की तुलना में लगभग 5 गुना अधिक (48.4% बनाम 9.8%) है।

मानव विकास संस्थान का परिचय :

- मानव विकास संस्थान (IHD) की स्थापना वर्ष 1998 में इंडियन सोसाइटी ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स (ISLE) के तत्वावधान में की गई थी।
- इसका उद्देश्य एक ऐसे समाज के निर्माण में योगदान देना है जो एक समावेशी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था को बढ़ावा और महत्व देता है जो गरीबी और अभावों से मुक्त हो।
- यह श्रम और रोजगार, आजीविका, लिंग, स्वास्थ्य, शिक्षा और मानव विकास के अन्य पहलुओं के क्षेत्रों में अनुसंधान करता है।

भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के महत्वपूर्ण तथ्य :

- भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 श्रम और रोजगार मुद्दों पर मानव विकास संस्थान द्वारा नियमित प्रकाशनों की श्रृंखला में यह तीसरा संस्करण है, जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के साथ साझेदारी कर संयुक्त रूप से जारी किया जाता है।
- यह रिपोर्ट भारत में उभरते आर्थिक श्रम बाजार, शैक्षिक और कौशल परिदृश्यों और पिछले दो दशकों में देखे गए परिवर्तनों के संदर्भ में युवाओं से संबंधित रोजगार के क्षेत्र में विद्यमान चुनौतियों की जांच करता है।
- यह रिपोर्ट भारतीय श्रम बाजार के हालिया रुझानों पर भी प्रकाश डालती है, जो युवा बेरोजगारों के संबंध में वर्तमान में मौजूद चुनौतियों और भविष्य में उत्पन्न नई चुनौतियों के साथ-साथ कुछ परिणामों में सुधार का संकेत देती है, जिनमें कोविड -19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियां भी शामिल हैं।

भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 की मुख्य विशेषताएं :

- भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 मुख्य रूप से वर्ष 2000 और वर्ष 2022 के बीच मौजूद राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण और आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के आंकड़ों के विश्लेषण पर आधारित है।

भारत में रोजगार का परिदृश्य और वर्तमान रुझान :

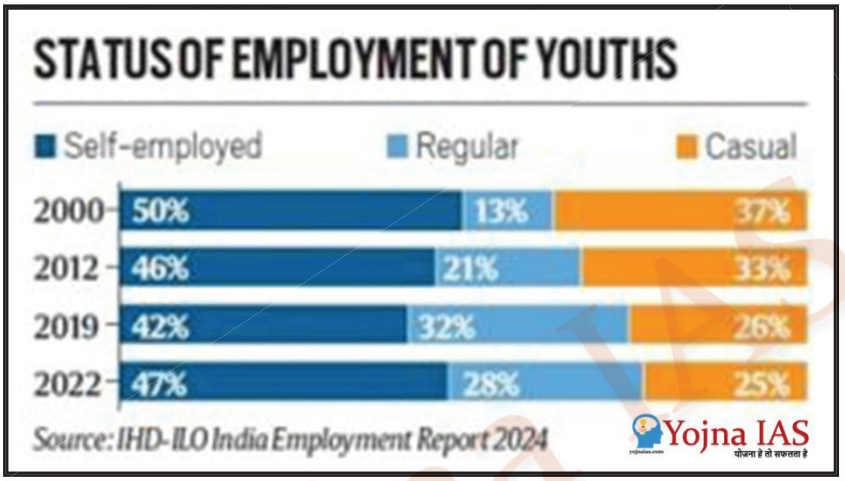

- भारत में खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में महिला श्रम बाजार भागीदारी दर पहले के वर्षों में काफी गिरावट के बाद 2019 तक तेजी से ऊपर की ओर बढ़ी है ।
- भारतीय श्रम बाजार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक कृषि से गैर-कृषि क्षेत्रों में कार्यबल का धीमा और स्थिर संक्रमण है।
- भारत में विद्यमान रोजगार के क्षेत्रों में से मुख्य रूप से स्व-रोज़गार औरआकस्मिक रोज़गार का उपलब्ध होना है।
- भारत में लगभग 90 प्रतिशत अनौपचारिक रूप से कार्यरत है जबकि लगभग 82 प्रतिशत कार्यबल अनौपचारिक क्षेत्र में संलग्न है।
- वर्ष 2012-22 के दौरान आकस्मिक मजदूरों की मजदूरी में मामूली वृद्धि का रुझान बना रहा, जबकि नियमित श्रमिकों की वास्तविक मजदूरी या तो स्थिर रही या उस्में गिरावट आई।
- भारत में प्रवासन के स्तर को आधिकारिक सर्वेक्षणों के माध्यम से पर्याप्त रूप से दर्ज नहीं किया गया है।
- भविष्य में शहरीकरण और प्रवासन की दरों में काफी वृद्धि होने की उम्मीद है।
- 2030 में भारत में प्रवासन दर लगभग 40 प्रतिशत होने की उम्मीद है और शहरी आबादी लगभग 607 मिलियन होगी।

भारत में युवाओं के रोजगार से संबंधित प्रमुख चुनौतियाँ :

- भारत की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा कामकाजी उम्र का है, जो कम से कम एक और दशक तक संभावित जनसांख्यिकीय लाभांश क्षेत्र में बने रहने की उम्मीद है ।
- भारत में प्रत्येक वर्ष, लगभग 7-8 मिलियन युवा श्रम बल में जुड़ते हैं जिनके उत्पादक उपयोग से भारत को जनसांख्यिकीय लाभांश प्राप्त हो सकता है।
- भारत में युवाओं की श्रम बाजार में भागीदारी वयस्कों की तुलना में बहुत कम रही है और दीर्घकालिक (2000-19) गिरावट की प्रवृत्ति पर थी, जिसका मुख्य कारण शिक्षा में अधिक भागीदारी थी।
- वर्तमान समय में भारत में युवा बेरोजगारी लगभग तीन गुना बढ़ गई है, जो वर्ष 2000 में 5.7 प्रतिशत से बढ़कर 2019 में 17.5

प्रतिशत हो गई थी, लेकिन वर्ष 2022 में यह घटकर 12.1 प्रतिशत हो गई है।

रोजगार क्षेत्र में सुधार के लिएभारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के प्रमुख सुझाव :

इस रिपोर्ट में भारत में बेरोजगारी से निपटने की कार्रवाई के लिए पांच प्रमुख नीतिगत क्षेत्रों पर ध्यान देने की बात कही गई है। जो विशेष रूप से भारत में युवाओं की बेरोजगारी से संबंधित महत्वपूर्ण सुझाव है –

1. **रोजगार सृजन को बढ़ावा देना।**
2. **रोजगार की गुणवत्ता में सुधार करना।**
3. **श्रम बाज़ार की असमानताओं को संबोधित करना और इसमें नीतिगत स्तर पर बदलाव करना।**
4. **कौशल और सक्रिय श्रम बाजार नीतियों को मजबूत करना, और**
5. **श्रम बाजार पैटर्न और युवा रोजगार पर ज्ञान की कमी के अंतर को पाटना।**

समाधान की राह :

- **' द इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024'** भारत में रोजगार के क्षेत्र में एक निराशाजनक परिदृश्य प्रस्तुत करता है।
- भारत में युवा रोजगार की वर्तमान स्थिति पर केंद्रित यह रिपोर्ट देश में व्यापक रूप से प्रचारित 'जनसांख्यिकीय लाभांश' की एक गंभीर तस्वीर पेश करता है, जिससे निपटने के लिए त्वरित और लक्षित नीतिगत हस्तक्षेप और तकनीकी रूप से विकसित हो रही भारत की अर्थव्यवस्था के लिए युवाओं के प्रशिक्षण को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है।
- भारत में बेहतर भुगतान वाली नौकरियों में शिक्षित युवाओं की भागीदारी के सापेक्ष नौकरियों की अनुप्लब्धता और शिक्षा की गुणवत्ता में कमियों के कारण बड़ी संख्या में शिक्षित युवा अभी भी नौकरी के मानदंडों को पूरा करने में असमर्थ हैं। जिस पर भारत के नीति – निर्माताओं को ध्यान देने की अत्यंत जरूरत है।
- भारत में व्यापक सामाजिक-आर्थिक लाभ प्राप्त करने में युवाओं के बड़े समूह का लाभ उठाने की अपेक्षा रोजगार, शिक्षा या प्रशिक्षण से वंचित युवाओं की दर ऊंची है, और अधिकांश नियोजित युवाओं के बीच काम करने की स्थिति खराब है। भारत में मुद्रास्फीति के कारण मजदूरी या तो स्थिर हो गई है या उसमें गिरावट देखी गई है, जबकि भारत की अर्थव्यवस्था उच्च दर से बढ़ रही है।
- भारत में लोकसभा के आम चुनाव 2024 की प्रक्रिया शुरू होते ही राजनेताओं ने रोजगार सृजन करने और तकनीकी रूप से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करने को न केवल अपने चुनावी अभियानों में बल्कि उन्हें नीति निर्माण करने में भी बेरोजगारी के कारणों पर प्राथमिकता देते हुए विचार करने की अत्यंत आवश्यकता है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल 83% युवा बेरोजगार हैं।
2. मानव विकास संस्थान की स्थापना वर्ष 1998 में इंडियन सोसाइटी ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स द्वारा की गई थी।
3. यह रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और मानव विकास संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित किया जाता है।
4. भारतीय श्रम बाजार में कृषि से गैर-कृषि क्षेत्रों में कार्यबल का धीमा और स्थिर संक्रमण होता है।

उपरोक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

(A). केवल 1, 2 और 3

(B). केवल 2, 3 और 4

(C). इनमें से कोई नहीं।

(D). इनमें से सभी।

उत्तर – (D)

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के महत्वपूर्ण तथ्यों को रेखांकित करते हुए भारत में युवाओं के रोजगार से संबंधित प्रमुख चुनौतियों और उसके समाधान की विस्तृत चर्चा कीजिए।

भारत के राजकोषीय घाटे का लक्ष्य

स्त्रोत – द हिन्दू एवं पीआईबी।

सामान्य अध्ययन – भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, राजकोषीय समेकन, राजकोषीय घाटा, सकल घरेलू उत्पाद

ख़बरों में क्यों ?

- भारत की केंद्र सरकार ने जनवरी 2024 के 11 लाख करोड़ रुपये से फरवरी 2024 के अंत तक राजकोषीय घाटे को 15 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ाया है। इससे, राजकोषीय घाटे में 86.5% तक की बढ़ोतरी हुई है, जिसमें राज्यों के कर हस्तांतरण और पूंजीगत व्यय की वृद्धि का महत्वपूर्ण योगदान है।
- वित्त मंत्रालय ने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के लिए भी अपने लक्ष्य को कम किया है, जिसे 2024-25 में 5.1% तक कम किया जाएगा। यह भारत में केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय चुनौतियों के निपटने का प्रयास है।

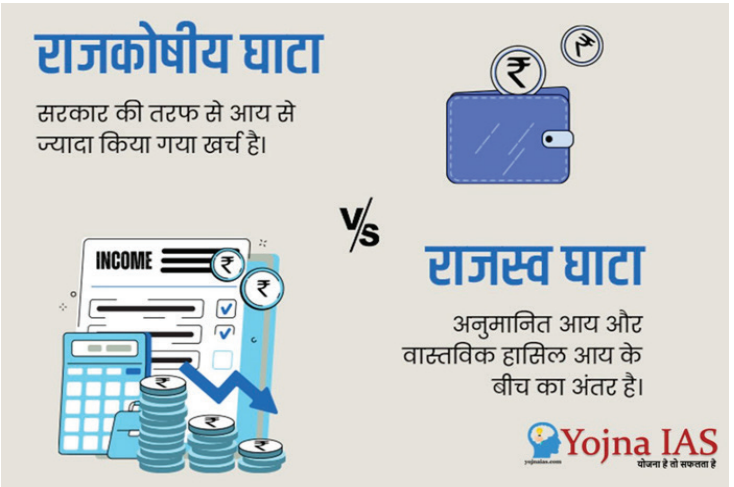

- केंद्र सरकार के पास मार्च में अभी भी छह लाख करोड़ रुपये खर्च करने की क्षमता है, जो केंद्र सरकार को मौजूदा वित्तीय चुनौतियों को संभालने में मदद कर सकती है। क्योंकि भारत राष्ट्रीय ऋणों से निपटने में वित्तीय चुनौतियों का सामना कर रहा है।
- अतः केन्द्रीय वित्त मंत्रालय ने अपने अंतरिम बजट 2024-25 में भारत के राजकोषीय घाटे को वित्तीय वर्ष 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद (Gross Domestic Product – GDP) के 5.1% तक कम करने का निर्णय लिया है।

राजकोषीय घाटा और राष्ट्रीय ऋण :

- किसी देश की सरकार द्वारा अपने ऋणदाताओं को एक निश्चित समय पर जो कुल राशि की जो देनदारी होती है उसे राष्ट्रीय ऋण कहा जाता है।
- छोटी बचत, भविष्य निधि और विशेष प्रतिभूतियों जैसी योजनाओं के दायित्वों के साथ-साथ घरेलू तथा बाहरी ऋण सहित विभिन्न देनदारियाँ सरकारी ऋण में शामिल होती हैं।
- इन देनदारियों में ब्याज भुगतान और मूल राशि का पुनर्भुगतान दोनों शामिल होते हैं, जिससे सरकार के वित्त पर काफी वित्तीय बोझ पड़ता है।
- यह ऋण की वह राशि होती है जो सरकार ने कई वर्षों के राजकोषीय घाटे से उबरने के लिए उधार लेने के दौरान जमा किया होता है।
- सकल घरेलू उत्पाद के हिस्से के रूप में सरकार का राजकोषीय घाटा जितना अधिक होगा, उसके ऋणदाताओं को भुगतान किए जाने की संभावना उतनी ही कम होती है।
- बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों का राजकोषीय घाटा अधिक नहीं हो सकता है।
- वर्ष 2022 तक, प्रमुख घाटे वाले देशों में इटली -7.8%, हंगरी -6.3%, दक्षिण अफ्रीका -4.8%, स्पेन -4.7%, फ्राँस -4.7% शामिल हैं।

किसी उभरती अर्थव्यवस्था में राजकोषीय सुदृढ़ीकरण का महत्व :

- राजकोषीय घाटे को कम करने के तरीकों और साधनों को राजकोषीय समेकन कहा जाता है।
- कोई भी सरकार अपनी अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण में घाटे को पाटने के लिए उधार लेती है। जिसको उसे अपनी कमाई का एक हिस्सा कर्ज चुकाने के लिए आवंटित करना पड़ता है। अतः कर्ज बढ़ने पर ब्याज का बोझ भी बढ़ेगा।

राजकोषीय घाटा का अर्थ :

- किसी भी सरकार के कुल व्यय और उसके कुल प्राप्त राजस्व (उधार को छोड़कर) के बीच का अंतर को राजकोषीय घाटा कहा जाता है।
- यह इस बात का संकेतक है कि सरकार को अपने परिचालन को वित्तपोषित करने के लिए किस हद तक उधार लेना चाहिए।

- इसे देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है ।
- उच्च राजकोषीय घाटे से मुद्रास्फीति , मुद्रा का अवमूल्यन और ऋण बोझ में वृद्धि हो सकती है, जबकि कम राजकोषीय घाटे को राजकोषीय अनुशासन और स्वस्थ अर्थव्यवस्था के सकारात्मक संकेत के रूप में देखा जाता है।

राजकोषीय घाटे के सकारात्मक पहलू :

सरकारी खर्च में वृद्धि : राजकोषीय घाटा सरकार को सार्वजनिक सेवाओं, बुनियादी ढांचे और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर खर्च बढ़ाने में सक्षम बनाता है जो आर्थिक विकास को प्रोत्साहित कर सकते हैं।

सार्वजनिक निवेश का वित्तपोषण : सरकार राजकोषीय घाटे के माध्यम से बुनियादी ढांचा परियोजनाओं जैसे दीर्घकालिक निवेश का वित्तपोषण कर सकती है ।

रोजगार सृजन : सरकारी खर्च बढ़ने से रोजगार सृजन हो सकता है, जो बेरोजगारी को कम करने और जीवन स्तर को बढ़ाने में मदद कर सकता है।

राजकोषीय घाटे के नकारात्मक पहलू :

भुगतान संतुलन की समस्याएँ : यदि कोई देश बड़े राजकोषीय घाटे से जूझ रहा है, तो उसे विदेशी स्रोतों से उधार लेना पड़ सकता है, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार में कमी हो सकती है और इससे भुगतान संतुलन पर दबाव पड़ सकता है।

मुद्रास्फीति का दबाव : बड़े राजकोषीय घाटे से धन आपूर्ति में वृद्धि और उच्च मुद्रास्फीति हो सकती है, जिससे आम जनता की क्रय शक्ति कम हो जाती है ।

ऋण बोझ में वृद्धि : लगातार उच्च राजकोषीय घाटे के कारण सरकारी ऋण में वृद्धि होती है, जिससे भावी पीढ़ियों पर ऋण चुकाने का दबाव पड़ता है।

निजी निवेश का बाहर जाना : सरकार को राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए भारी उधार लेना पड़ सकता है, जिससे ब्याज दरों में वृद्धि हो सकती है, और निजी क्षेत्र के लिए ऋण प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है, जिससे निजी निवेश बाहर हो सकता है।

भारत में राजकोषीय घाटा के अन्य प्रकार :

प्रभावी राजस्व घाटा :

- राजस्व घाटे और पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए दिए गए अनुदान के बीच के अंतर को प्रभावी राजस्व घाटा कहा जाता है।
- भारत में रंगराजन समिति द्वारा सार्वजनिक व्यय पर प्रभावी राजस्व घाटे की अवधारणा सुझाई गई थी।

राजस्व घाटा :

- यह राजस्व प्राप्तियों पर सरकार के राजस्व व्यय की अधिकता को बताती है।
- **अतः राजस्व घाटा = राजस्व व्यय – राजस्व प्राप्तियाँ।**

प्राथमिक घाटा :

- प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटा के ब्याज भुगतान के बराबर होता है।
- यह किसी सरकार द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए पिछले वर्षों के दौरान लिए गए ऋणों पर ब्याज भुगतान पर किए गए व्यय को ध्यान में नहीं रखते हुए, सरकार की व्यय आवश्यकताओं और इसकी प्राप्तियों के बीच अंतर को बताता है।
- **अतः प्राथमिक घाटा = राजकोषीय घाटा – ब्याज भुगतान।**

निष्कर्ष :

- भारत में केंद्र सरकार के आंकड़ों के अनुसार फरवरी में राजकोषीय घाटे में बढ़ोतरी के बावजूद भी सरकार द्वारा तय किए गए इस

साल के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है।

- वर्तमान समय में भारत के केंद्र सरकार की प्राथमिकता पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) के जरिए अर्थव्यवस्था के असंतुलन की स्थिति से बाहर निकालना है।
- भारत की अर्थव्यवस्था के बुनियादी ढांचे में सरकारी निवेश बढ़ने से निजी निवेश भी बढ़ेगा, जिससे आर्थिक (जीडीपी) विकास को बढ़ावा मिलेगा और इसके परिणामस्वरूप राजकोषीय घाटे और जीडीपी का अनुपात कम हो जाएगा।
- राजकोषीय सुदृढ़ीकरण उपायों के संयोजन को कार्यान्वित कर भारत राजकोषीय स्थिरता, आर्थिक विकास एवं दीर्घकालिक समृद्धि सुनिश्चित करते हुए अपने राष्ट्रीय ऋण तथा राजकोषीय घाटे को प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर सकता है।
- भारत में स्थायी राजकोषीय का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अल्पकालिक स्थिरीकरण प्रयासों तथा दीर्घकालिक संरचनात्मक सुधारों के बीच संतुलन स्थापित करना आवश्यक है।
- यह काफी प्रशंसनीय है कि कुछ मंत्रालय अपने लक्ष्यों से चूक जाने के बाद भी पूरे साल के घाटे के आंकड़ों के लिहाज से सकारात्मक रूप से परिणाम देंगे।
- सरकार द्वारा वृहद स्तर पर बेहतर आर्थिक परिणामों के लिए लगाम लगाना अच्छा होता है, लेकिन लगातार खर्च करने वाले लक्ष्यों को चूकने से इच्छित नतीजों से समझौता करना पड़ता है और यह संकेत मिलता है कि आने वाले वर्षों में बेहतर परिव्यय की योजना बनाने और कम उधार लेने की गुंजाइश हो सकती है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को कम करने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. वित्त मंत्रालय ने अंतरिम बजट 2024-25 में भारत के राजकोषीय घाटे को वित्तीय वर्ष 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद के 5.1% तक कम करने का निर्णय लिया है।
2. छोटी बचत, भविष्य निधि और विशेष प्रतिभूतियों जैसी योजनाओं के दायित्वों के साथ-साथ घरेलू तथा बाहरी ऋण सहित विभिन्न देनदारियाँ सरकारी ऋण में शामिल होती हैं।
3. वित्त मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 5.1% तक कम करने के लक्ष्य को निर्धारित किया है।
4. सरकार का राजकोषीय घाटा जितना अधिक होगा, उसके ऋणदाताओं को भुगतान किए जाने की संभावना उतनी ही कम होगी।

उपरोक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

(A). केवल 1, 2 और 3

(B). केवल 2, 3 और 4

(C). इनमें से कोई नहीं

(D). इनमें से सभी।

उत्तर – (D)

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत में राजकोषीय घाटे के विभिन्न पहलूओं को रेखांकित करते हुए किसी उभरती अर्थव्यवस्था में राजकोषीय सुदृढ़ीकरण का महत्व और सरकार द्वारा निर्धारित किए गए राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पूरा करने में महत्वपूर्ण कारकों की विस्तारपूर्वक चर्चा कीजिए।